रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1690] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2019/ज्येष्ठ 10, 1941
No. 1690] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2019/JYAISTHA 10, 1941

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2019

का.आ. 1888(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहित मे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झारखंड राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया एवं और बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, झारखंड राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जगदीशपुर - हल्दिया एण्ड बोकारो – धामरा पाईपलाईन प्रोजेक्ट

दोभी से हल्दिया

राज़्य – झारखण्ड

जिला	तहसील	गांव	थाना नं	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
					हेक्टर-आर- वर्ग-मीटर		
बोकारो	चास	रानीपुकुर	20	948	00	04	54

[फा. सं. एल-14014/70/2019-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2019

S.O. 1888(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur - Haldia & Bokaro - Dhamra Pipeline (JHBDPL) and spur pipeline, in the State of Jharkhand, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, GAIL (India) Limited, State of Jharkhand.

SCHEDULE

Jagdishpur – Haldia & Bokaro – Dhamra Pipeline Project

Dobhi to Haldia

State – Jharkhand

District	Block	Village	Thana No.	Survey No.	Area		
					Hectare-Are-Aq-mtr		
Bokaro	Chas	Ranipukur	20	948	00	04	54

[F. No. L-14014/70/2019-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.03 17:30:18 +05'30'